



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28012026-269628  
CG-DL-E-28012026-269628

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 371]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 28, 2026/माघ 8, 1947

No. 371]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 28, 2026/MAGHA 8, 1947

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2026

**का.आ. 399(अ).**— केंद्र सरकार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए, 'राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ (पैन: AAAGS1716A), जो कि केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ के प्रशासक द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (केंद्रीय अधिनियम 1987 का 39) के अंतर्गत गठित प्राधिकरण है, को निम्नलिखित निर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, यथा:-

- (क) पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, केंद्रीय प्राधिकरण, अर्थात् विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण से प्राप्त अनुदान;
- (ख) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रयोजन के लिए केंद्र सरकार या पंजाब/हरियाणा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान या दान;

- (ग) न्यायालय के आदेशानुसार प्राप्त राशि;
- (घ) भर्ती आवेदन शुल्क के रूप में प्राप्त शुल्क; और
- (ङ) बैंक जमा राशियों पर अर्जित व्याज

2. यह अधिसूचना 'राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़' की शर्तों के अधीन प्रभावी होगी।

- (क) किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि में संलग्न नहीं होगा ;
- (ख) गतिविधियां तथा निर्धारित आय की प्रकृति पूरे वर्ष अपरिवर्तित रहेगी; और
- (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आयकर रिटर्न दाखिल करेगा।

2.1 इन शर्तों का अनुपालन न करने पर आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जा सकती है और अधिनियम की धारा 10(46) के तहत दी गई छूट वापस ली जा सकती है।

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2024-25 से संबंधित निर्धारण वर्ष 2024-25 से 2025-26 के लिए लागू मानी जाएगी और वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2027-28 से संबंधित निर्धारण वर्ष 2026-27 से 2028-29 के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 15 /2026/फा. सं. 300196/64/2025-आईटीए-1]

हरदेव सिंह, अवर सचिव

#### स्पष्टीकरण ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव (बोर्ड/विभाग के समक्ष आवेदन करने के वर्ष से) देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

### **MINISTRY OF FINANCE**

#### **(Department of Revenue)**

#### **(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)**

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th January, 2026

**S.O. 399(E).**— In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'State Legal Service Authority Union Territory, Chandigarh (PAN: AAAGS1716A), an Authority constituted by the Administrator, Union Territory, Chandigarh under the Legal Services Authorities Act, 1987 (Central Act 39 of 1987), in respect of the following specified income arising to the said Authority, as follows:-

- (a) Grants received from the Punjab and Haryana High Court, Central Authority i.e. National Legal Services Authority constituted under Legal Services Authorities Act, 1987;
- (b) Grants or donation received from the Central Government or the State Government of Punjab/Haryana for the purpose of the Legal Services Authorities Act, 1987;
- (c) Amount received under the order of the Court;

- (d) Fees received as recruitment application fee; and
- (e) Interest earned on bank deposits

2. This notification shall be effective subject to the conditions that 'State Legal Service Authority Union Territory, Chandigarh-

- (a) shall not engage in any commercial activity;
- (b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
- (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

2.1 Failure to comply with these conditions may result in the initiation of penal actions under the provisions of the Income-tax Act, 1961 and withdrawal of the exemption granted u/s 10(46) of the Act.

3. This notification shall be deemed to have been applied for assessment years 2024-25 to 2025-26 relevant for the financial years 2023-24 to 2024-25 and shall be applicable for assessment year 2026-27 to 2028-29 relevant for the financial year 2025-26 to 2027-28.

[Notification No. 15 /2026/F. No. 300196/64/2025-ITA-I]

HARDEV SINGH, Under Secy.

### **Explanatory Memorandum**

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect [from the year of its application made before the CBDT/ Income-tax Department] to this notification.

